

उत्तराखण्ड को जल्द मल्लिगा लोकायुक्त

चर्चा में क्यों?

29 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीतिके तहत उत्तराखण्ड सरकार जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है। सबसे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय चयन समिति बनेगी, जो लोकायुक्त की तलाश के लिये खोजबीन (सर्च) कमेटी का गठन करेगी।

प्रमुख बिंदु

- कार्मिक एवं सत्रकता विभाग के एक उच्चाधिकारी ने लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान होने की पुष्टि की है।
- गौरतलब है कि नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड सरकार को तीन महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिये हैं। इस कारण लोकायुक्ता की नियुक्ता का मामला खासा गरम है।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोकायुक्त व सदस्यों के चयन के लिये एक समिति बनाई जा रही है। समिति में विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके नाम देने पर हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश और राज्यपाल द्वारा दिये गए किसी वख्यात वधिवित्ता को सदस्य बनाया जाना है।
- कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबकि, चयन समिति के चार नाम तय हो चुके हैं और पाँचवां नाम जल्द उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। गठन के बाद चयन समिति वियक्तियों के नामों के पैनल तैयार करने के लिये एक सर्च कमेटी बनाएगी। सर्च कमेटी तीन गुना नामों की सफारिश कर चयन समितिको भेजेगी। माना जा रहा कि धामी सरकार अगले दो-तीन महीनों में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है।

